न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दाबा / 201 / 2016 तारीख रजु 19.12.2016

उनवान

1. श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री राधेश्याम जाति जाट निवासी लहचौडा तह0 हिण्डौन
2. श्रीमती मीना देवी पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी लहचौडा तह0 हिण्डौन
3. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री समयसिंह जाति जाट निवासी लहचौडा तह0 हिण्डौन

-----वादीगण 03

बनाम

1. देवी सिंह पुत्र श्री मुकन्दी वगै0 जाति जाटव निवासी लहचौडा तह0 हिण्डौन

-----प्रतिवादीगण 04

उपस्थितिः–
वादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।
प्रतिवादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 17.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम लहचौडा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 1690, 1691 के स्थाई निषेद्याज्ञा दावा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को बार–बार आवाज दिलाई गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए । जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 201 / 2016 श्रीमति किरण वगै0 बनाम देवीसिंह वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डौन HINDAUN

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.31 18:30:49 IST
Reason: SelfAttested